PUNE RESEARCH WORLD ISSN 2455-359X
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES VOL 3, ISSUE 3

"गुजरात में कामकाजी महिलाओं के साथ यौनउत्पीड़न की मनोवैज्ञानिक समस्या और उपाय"

डॉ. छाया सुचक
(मनोविज्ञान विभाग)
विजयनगर आर्टस कोलेज,
विजयनगर, जि. साबरकांठा,
गुजरात भारत

दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यह बदलाव कई दिशाओं में हो रहा है । पढ़-लिख कर विकास की दौड़ में आ खड़ी हुई महिलाएं अब घर की चारदीवारियों से निकल कर कामकाज की दुनिया में शामिल हो रही हैं । बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर आसानी से मिलने लगे हैं जिस कारण उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, समाज में स्वयं अर्जित प्रतिष्ठा पाने के साधन मिले हैं और मिली है जीवन को अपने तरीके से जीने की आजादी ।

जैसे-जैसे महिलाएं घरों से निकल कर कार्यस्थल तक पहुंच रही हैं, वैसे-वैसे उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं । भारत सहित विश्व के अधिकतर देशों में घर व कार्यलय के बीच बंटी कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर शोध हो रहे हैं । भारत के संदर्भ में देखे तो कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए में रेखांकित करने योग्य बदलाव आया है । अभी 20 साल पहले तक ही छोटे नगरों में कामकाजी महिलाओं में उनकी किसी सामाजिक या आर्थिक मजबूरी ढूंढी जाती थी और बेटे के

विवाह के लिए प्रत्येक मां-बाप एक 'घरेलू' लड़की की खोज में रहता था लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है । आज छोटे-छोटे कस्बों और यहां तक कि गांवों में भी 'कामकाजी लड़की' विवाह योग्य लाडलों के मां-बापों की पहली पसंद बन गई है ।

लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक रूख है । तस्वीर का दूसरा रुख बेहद स्याह है । कामकाजी महिलाओं को परिवार और पेशे के बीच सामंजस्य स्थापित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि समाज ने उनकी उपयोगिता और महत्त्व को तो स्वीकार कर लिया है लेकिन कामकाजी महिलाओं को जिस पारिवारिक सहारे की जरूरत होती, उससे आधी से ज्यादा कामकाजी महिलाएं आज भी महरूम हैं । उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति शायद कुछ अलग हो, लेकिन मध्यम वर्ग की अधिकांश कामकाजी महिलाओं को आज भी कार्यालय के बाद घर के कामकाज में जुट जाना पड़ता है । बात चाहे हम महानगरों की करें या छोटे कस्बों की, कामकाजी महिलाएं आज भी घर में सबसे पहले उठती हैं और रात मं सबसे बाद में उन्हें बिस्तर नसीब हो पाता है ।

निम्न वर्ग की कामकाजी महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है । योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न वर्ग की अधिकतर कामकाजी महिलाएं अशिक्षित या अल्पशिक्षित होती हैं । काम करना इस वर्ग की महिलाओं के लिए एक मजबूरी ही है । और मजबूरी में काम पाने केलिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ती है । कार्यस्थल पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है । देर शाम जब वो घर लौटती है तो उसे दो-चार होना पड़ता है पारिवारिक हिंसा से । कुछ लोगों को ये बात शायद अतीत की या किस्से-कहानियों की ही लगे लेकिन 60 फीसदी भारत की यही सच्चाई है । काम में खटने के बाद घर पर पिटना, आज भी हकीकत है कस्बाई भारत की ।

राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का योगदान काफी महत्त्व रखता है लेकिन राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और विकास में भी स्त्रियों की भूमिका कुछ कम महत्त्व नहीं

रखती । इस महान और मजबूत स्त्री शक्ति की ओर उचित ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि खुद स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और साथ ही राष्ट्र के विकास और आर्थिक प्रगति के मामले में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके । यह तभी सम्भव होगा जब स्त्रियों को सम्मान दिया जाए और िसके साथ ही उनकी शक्ति को राष्ट्र के लाभ के लिए और स्त्रियों का दर्जा उठाने के लिए सही रास्ते पर लाया जाए ।

शहरों में कामकाजी महिलाओं की स्थिति और संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन छोटे कस्बों और गांवों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है । अभी कुछ समय पूर्व कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में एक अध्ययन किया गया जिसके नतीजों का उल्लेख यहां प्रासंगिक होगा । इस अध्ययन के मुताबिक अधिकतर कामकाजी महिलाएं 20 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की होती हैं अर्थात् आजादी के बाद जन्मी महिलाएं ही आज घर से निकल कर काम संभाल रही हैं । इनमें भी 20-25 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या अधिक है जिसका अर्थ है कि आजकल सभी शिक्षित महिलाएं किसी न किसी रोजगार में लग रही हैं ।

लगभग 60 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका जन्म शहरी क्षेत्र में होता है । चूंकि ग्रामीण महिलाओं की परंपराएं उन्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं देतीं और उनके पास अवसर भी बेहद सीमित होते हैं इसलिए कामकाजी महिलाओं में ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत कम होता है । जो ग्रामीण महिलाएं कामकाज करती भी हैं वे साधारणतः अपने पारिवारिक धंधों से ही जुड़ी होती हैं । शहरों में वही ग्रामीण महिलाएं नौकरी आदि करती हैं जो उच्च-शिक्षा के लिए पहले ही शहर आ चुकी होती हैं । कुल कामकाजी महिलाओं में लगभग 21 प्रतिशत महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका जन्म तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है लेकिन उनके परिवार 15-20 वर्ष पहले ही शहरों में आकर बस गए थे ।

अब बात परिवारों के प्रकार की । अधिकतर कामकाजी महिलाएं एकल-परिवार से होती हैं । संयुक्त परिवारों की बहुत कम महिलाएं कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर जाती हैं । भारत में कोई भी अध्ययन बिना जातिगत संदर्भ के अपूर्ण माना जाता है । एक अध्ययन के मुताबिक सबसे अधिक कामकाजी महिलाएं ब्राह्मण जाति से संबंध रखती हैं । इस मामले में दलित जाति की महिलाओं का प्रतिशत बेहद कम है । धर्म के आधार पर देखें तो भारत में 85 फीसदी से भी अधिक कामकाजी महिलाएं हिन्दू धर्म को मानने वाली होती हैं ।

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अधिकतर कामकाजी महिलाएं शिक्षित और उच्च-शिक्षित होती हैं लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि 13 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं निरक्षर होती हैं जबकि 12 फीसदी महिलाएं बस साक्षर ही होती हैं । अन्य समाजों के साथ-साथ भारत में भी परंपरा रही है कि पति, जीविका का साधन जुटाने का कार्य करता है और पत्नी परिवार के दायित्व सम्भालती है लेकिन अब वह परंपरा बदल रही है ।

एक ओर तो कामकाजी महिलाओं का अनुपात बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर बढ़ रहा है कार्यस्थल पर उनके साथ होने वाला दुर्व्यवहार । 'अवाग' (अहमदाबाद वुमेंस एक्शन ग्रुप) नामक एक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्था ने सन् 2004 की शुरुआत में एक सर्वे किया । उस शोध के नतीजों ने भी इस धारणा को ही पुष्ट किया है कि आज भी कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण होता है । इस सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 48 फीसदी महिलाओं को कार्यस्थल पर मौखिक, शारीरिक और मानसिक शोषण का हमला झेलना पड़ता है और यह हमला करते हैं उनके अपने ही सहकर्मी ।

यौन उत्पीजडन एक ऐसा अपराध है जो प्राचीन काल से ही समाज में व्याप्त है । तथ्य बताते हैं कि भारत में आजादी के बाद यौन उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी है । दरअसल आजादी के बाद महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ीं जिस

कारण कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ा । सामान्यतः यौन उत्पीड़न को परिभाषित करना काफी कठिन है । समाज में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एक आम घरना है और अधिकतर महिलाएं इसका खुलकर विरोध तक नहीं कर पाती हैं । यही छेड़छाड़ जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो उसे यौन उत्पीड़न कहा जाने लगता है । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में निम्नलिखित कृत्यों को यौन उत्पीड़न की परिधि में सम्मिलित किया थाः

(1) पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार

(2) महिला से अश्लील भाषा व शब्दों का प्रयोग

(3) सेक्स संबंधी संकेत, यौन-सूचक टिप्पणियां और अश्लील फब्तियां

(4) महिला के शरीर को स्पर्श करने का प्रयास

(5) सहवास का प्रस्ताव करना या शारीरिक संबंधों की मांग करना

(6) महिलाओं को अश्लील फिल्म, साहित्य आदि दिखाना या उन्हें ऐसा साहित्य देखने को प्रेरित करना ।

सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि बाहर तो महिलाओं के साथ यौन संबंधी दुर्व्यवहार होता ही है, साथ ही कार्य स्थल पर भी उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार होनि पड़ता है । कार्यस्थल पर नियोक्ता या अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न करना काफी आसान होता है और ये लोग सोच-समझ कर यौन उत्पीड़न करते हैं । ये लोग अधीनस्थ महिला को धन या पदोन्नति का लालच देते हैं, बहलाने-फुसलाने का प्रयास करते हैं और यदि फिर भी उनकी मंशा पूरी नहीं होती दिखती तो वे लोग बल का प्रयोग करने लगते हैं । अक्सर देखा गया है कि यदि कोई महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है तो उसे तरह-तरहसे परेशान किया जाता है, उसका कैरियर खराब करने की धमकी दी जाती है और कई बार तो उसे नौकरी

तक से निकाल दिया जाता है । इस स्थिति को बदलने की जरूरत है । महिलाओं को शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए तथा उन्हें बताया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वेच्च न्यायलय ने क्या दिशा-निर्देश दिए हैं । महिलाओं को यह भी बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार वे अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए दोषी को सज़ा दिलवा सकती हैं ।

यौन उत्पीड़न की घटनाएं सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में तो होती ही हैं, साथ ही मजदूर वर्ग की महिलाएं भी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं । यौन उत्पीड़ित महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो छोटे-खोटे कारखानों, ईट के भट्टों और निर्माण क्षेत्र में मेहनत-मजदूरी करता है । इस वर्ग की महिलाएं यौन उत्पीड़न का सबसे अधिक शिकार होती हैं क्योंकि दो जून रोटी को तलाश में भटक रहीं ये महिलाएं न तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और न ही उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कुछ पता है । मालिकों के यौन उत्पीड़न का विरोध कर पाने में वे अपने आपको अक्षम पाती हैं क्योंकि परिवार का पालन-पोषण करने ओर खर्च चलाने हेतु वे अपने मालिकों पर ही निर्भर होती हैं । ऐसी महिलाओं को भी जागरूक किए जाने की जरूरत है ।

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यौन उत्पीड़न एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें पुरुष अपनी महिला सहकर्मी, महिला अधीनस्य या महिला नियोक्ता के प्रति अशोभनीय व्यवहार और टिप्पणियां करते हैं । स्वयंसेवी संस्था 'साक्षी' द्वारा इस संदर्भ में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक पुरुषों की दृष्टि में उन्हीं महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिक होता है जो खुले विचारों की, अधिक बोलने वाली और आक्रमका होती हैं । आंकड़े भी बताते हैं कि निजी और कार्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार अधिक होती हैं । इसका कारण शायद यह है कि वे अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करती हैं । सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी यौन उत्पीड़न के खूब मामले होते हैं लेकिन वहां काम करने की

एक अलग संस्कृति होती है । वहां काम करने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक परपंरावादी होते हैं इसलिए यहां का यौन उत्पीड़न भी पारंपरिक प्रकार का (पुराना, घिसा-पिटा तरीका) होता है । इसके विपरीत निजी व कार्पोरेट क्षेत्र का माहौल अधिक ग्लैमरस, अधिक खुला और अधिक उन्मुक्त होता है इसलिए वहां सहकर्मी या अधिकारी बेहिचक हमबिस्तर होने का प्रस्ताव दे देते हैं ।

सरकारी कार्यालयों में अप्रत्यक्ष रूप से अश्लील फन्तियां कसी जाती हैं और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जबकि कार्पोरेट क्षेत्र में आधुनिकता व खुलेपन के नाम पर युवतियों से उनका जिस्म खुलेआम मांग लिया जाता है । आजकल बी.पी.ओ. का जमाना है । एक ताजा सर्वेक्षण बताता है कि कोल-सेंटरों पर काम करने वाली युवतियों का भी जमकर शोषण होता है । आजकल यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं तो इसके खिलाफ जागरूकता भी बढ़ रही है । सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी व कार्पोरेट कार्यालयों में भी यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बना दिए गए हैं । ऐसा इसलिए हुआ है कि यौन उत्पीड़न के संदर्भ में महिलाओं के साथ-साथ अब उनके नियेक्ता भी अधिक जागरूक हो गए है ।

यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पहल काफी प्रशंसनीय है । सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ही 12 अगस्त, 1997 को यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए उन कृत्यों का जिक्र किया, जिन्हें यौन उत्पीड़न माना जायेगा । यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने उत्पीड़न के मामले में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिएः

(1) संस्था एवं कार्यस्थल के नियेक्ता या जिम्मेदार अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यौन-उत्पीड़न के मामले में इसके निदान एवं दंड प्रावधान के लिए आवश्यक उपाय करे ।

(2) यौन उत्पीड़न में ऐसे सभी अवांछित तथा अशोभनीय शब्द-संकेत एवं व्यवहार आता है जो यौन-भावनाओं से संबंधित है । जैसे सेक्स सूचक शब्द या टिप्पणी करना, उद्देश्यपूर्ण शारीरिक संकेत या संपर्क, किसी भी प्रकार के यौन कार्य की मांग करना या उनके लिए प्रस्ताव करना और अश्लील फिल्म, चित्र, साहित्य आदि दिखाना ।

(3) सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए परस्पर व्यवहार एवं अनुशासन से संबंधित प्रावधानों में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उचित प्रावधानों का समावेश करना चाहिए ।

(4) निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को औद्योगिक रोजगार (चालू आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत इससे संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहिए । इसके अलावा इन नियमों को उचित रीति से वितरित, सूचित एवं प्रकाशित भी किया जाना चाहिए ।

(5) प्रत्येक संस्था में नियोक्ता को यौन उत्पीड़न की शिकायत सुनने एवं उसके निस्तारण के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए । इसके अलावा एक शिकायत समिति का भी गठन किया जाना चाहिए जिसकी अध्यक्षा अनिवार्य रूप से महिला ही होनी चाहिए । इस सिमित में कम-से-कम आधी महिला सदस्याँ भी होनी चाहिएं ।

(6) यौन उत्पीड़न के मामलों में उत्पीड़ित महिला को स्वयं का अथा आरोपी उत्पीड़न का स्थानांतरण कराने का अधिकार मिलना चाहिए ।

(7) यौन उत्पीड़न के मामलों में नियमानुसार भारतीय दंड विधान अथवा किसी अन्य कानून के तहत दंड सुनिश्चित किया जजाना चाहिए ।

(8) यदि यौन उत्पीड़न कार्यालय से बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो नियोक्ता द्वारा उस महिला को समुचित मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(9) केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इस आदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं कानून, निजी क्षेत्र में भी प्रभावी कराने के प्रयास करने चाहिए ।

(10) ये दिशा-निर्देश, मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे ।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारे यहां पर्याप्त नियम-कायदे और कानून मौजजूद हैं । जरूरत नए कानून बनाने के मुकाबले पुराने कानूनों को ही सख्ती से लागू करने की है । यदि वर्तमान में उपलब्ध दिशा-निर्देशों का ही ठीक ढंग से पान कर लिया जाए तो कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को काफी हद तक रोका जा सकता है । भारत की महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है । सामंतशाही के चलते आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं किसी-न-किसी रूप में यौन-शोषण का शिकार होती हैं । बदलते जमाने में यौन-उत्पीड़न के संदर्भ भी बदले हैं । भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यौन-उत्पीड़न की एक स्पष्ट परिभाषा तैयार हुई है । इस परिभाषा को यदि महिलाएं और उनके नियोक्ता समझ लें तो इन घटनाओं में काफी कमी लायी जा सकती है ।

आंकड़े बताते हैं कि लाख प्रयासों के बावजदू कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है । चौंकाने वाला तथ्य यह है कि गांव और कस्बों की भोली-भाली औरतों के साथ-साथ महानगर की उच्च शिक्षा प्राप्त युवतियां भी शर्म और बदनामी के डर से यौन-उत्पीड़न के मामलों पर प्रायः चुप ही रहती हैं जिस कराण अधिकतर मामले प्रकाश में ही नहीं आ पाते हैं । यौन-उत्पीड़न की शिकार जो महिलाएं आवाज उठआने की हिम्मत जुटाती भी हैं तो उनके साथ इस प्रकार का

व्यवहार किया जाता है कि वे या तो स्वयं नौकरी छोड़ कर चली जाती हैं अथवा उनका स्थानांतरण दूरदराज के किसी इलाके में कर दिया जाता है । इसके अलावा ऐसे मामले भी देखे गए हैं जिनमें यौन-उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने बाली महिलाकर्मी के तरक्की के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं । आज से पूरे 17 साल पहले सन् 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने सार्वजजनिक व निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन अधिकतर कार्यशील महिलाओं को आज तक इनकी जानकारी नहीं है तो इसका कारण सरकारी स्तर से महिलाओं के बीच जनजागरूकता अभियान न चलाया जाना तो है ही साथ ही महिलाओं का कम पढ़ी-लिखी होना व अपने अधिकारो के प्रति जागरूक न होना भी है ।

कार्यशील महिलाओं में जागरूकता की कमी के कारण ही अधिकतर महिलाएं, पुरुषों द्वारा मानसिक व शारीरिक शोषण किए जाने के बाद भी वे स्वयं को ही विवश समझती हैं । 'द वीक' पत्रिका द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली की 40 फीसदी और चेन्नई की 31 प्रतिशत महिलाएं यौन-उत्पीड़न होने पर उसकी शिकायत दर्ज नहीं करातीं ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा मानदण्डों का किस हद तक क्रियान्वयन किया गया है, यह जानने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीन वर्ष में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, गैरसरकारी संगठन और अन्य करीब 707 संस्थानों के साथ बैठक की । बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इन 707 संगठनों में से 556 शिकायत कमेटियों की प्रमुख महिलाएं हैं, जबकि 64 में पुरुष प्रमुख हैं । 87 संगठों में शिकायत समिति हैं ही नहीं । इन शिकायत समितियों में कुल 3151 सदस्य हैं जिनमें से 2214 मिलाएं और 937 पुरुष हैं । दिशा-निर्देश में यह भी उल्लेख है कि ऐसी शिकायत समिति में किसी गैर सरकारी संगठन या ऐसे अन्य निकाय को तीसरे पक्ष के रूप में सहभागी बनाया जाना चाहिए जो यौन-

उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो । लेकिन आयोग ने पाया कि 353 संगठनों में तीसरे पक्ष को कोई अहमियत ही नहीं दी गई हैं । देखने में यह भी आया है कि अक्सर उच्च अधिकारी शिकायत करने वाली महिला को डरा-धमकाकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं । पीड़ित को अन्य तरीकों से भी प्रताड़ित किया जाता है । कहीं-कहीं तो महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर जांच समिति बनाने में ही त्रुटियां होती है । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अक्सर पर राष्ट्रीय महिला आयोग और इंडियन ईस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 'कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया । सेमिनार में यह राय उभर कर आई कि महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी इस संबंध में जागरूक बनाया जाना चाहिए । ग्रामीण और जमीन से जुड़े लोगों को भी इन दिशा-निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए । केवल कानून बना देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता । कानुन के साथ-साथ लोगों में इसके प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए ।

संदर्भः

1. कामकाजी महिलाएं (वास्तविक स्थिति), डो. रेणु त्रिपाठी, डो. अर्पणा त्रिपाठी, खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली - 22
2. सेक्सस्युल उत्पीड़न और महिलाए, नई दिल्ली ।
3. www.google.com/women Gets sexually harassment at work
4. www.google.com/women sexually harassment